उपस्थित– श्री बिनोद कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश–17, भोजपुर, आरा (बिहार)
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–707 / 2026
(शाहपुर थाना काण्ड संख्या–305 / 2025)

निखिल पाण्डेय एवं अन्य .....आवेदक / अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार राज्य .....विपक्षी

17.04.2026 आवेदक / अभियुक्तगण 1. निखिल पाण्डेय, 2. चन्दन पाण्डेय, 3. मुकेश कुमार पाण्डेय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर, जो शाहपुर थाना काण्ड संख्या–305 / 2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 351, 76, 109, 3(5) बी.एन.एस. में अभियुक्त है, पर उभय पक्षों को सुना।

आवेदक / अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता अजय कुमार दुबे के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुये कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से इसके पूर्व में भी अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जो इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है, उसके पश्चात अन्य कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक / अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके उपर लगाया गया आरोप बिल्कुल झुठा वो बनावटी है। अभियोजन द्वारा जैसा अभिकथित है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है बल्कि अभियोजन का पुरा मामला झुठा है। आवेदकगण की ओर से भी उसी दिन की घटना को लेकर सूचक एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदकगण के उपर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है और ना ही इनका कोई आपराधिक इतिहास है। मामले में उभय पक्षों के बीच में सुलह हो चुका है तथा अब इनके बीच में कोई विवाद नहीं है। आवेदकगण के द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने की कोई संभावना नहीं है। अंततः निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उभय पक्षों के बीच सुलह होने की बात बताते हुये आवेदकगणों को जमानत दिये जाने का आग्रह किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–08–12–2025 को समय करीब 14.00 बजे निखिल पाण्डेय, राहुल पाण्डेय, चंदन पाण्डेय, मुकेश पाण्डेय सूचक के दिवाल के पास नाला काटकर नाली को बहा रहे थे तभी सूचक की बेटी ज्योति कुमारी बोली कि उसके घर में कोई नहीं है उसके पिताजी को अभी आने दीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ करना है करिए। इसी पर निखिल पाण्डेय एवं चंदन पाण्डेय मिलकर सूचक की पुत्री के साथ मार–पीट करने लगें एवं उसके कपड़े फाड़ दिये, जिससे वह अर्द्ध नग्न हो गई। उसके बाद हल्ला पर सूचक वहॉ आया और पुछा कि क्या चल रहा है। इस पर निखिल और राहुल दोनों सूचक को फैट से मारने लगें और मुकेश पाण्डेय ने डंडा से मारा, जिससे सूचक का सिर फट गया। चंदन पाण्डेय सूचक को पीछे से पकड़ रखा था। इसके बाद सूचक का पुत्र अंबुज कुमार मिश्रा आया तो उसे भी चारों ने मिलकर मार–पीट कर अधमरा कर दिया एवं बोले कि इसे यही जान से मार दो। पूर्व में भी सूचक ने नाली पानी के लिए अपने दीवाल के पास गडढ़ा काटने से रोका था।

उभय पक्षों को सुना तथा अद्यतन काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की प्राथमिकी अपराध की धारा–126(2), 115(2), 351, 76, 109, 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत संस्थित की गई है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान है तथा कंडिका–3, 4, 9, 10 में साक्षियों का बयान है, जिसमें उन्होंने प्राथमिकी की घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के साथ जख्मी ज्योति कुमारी एवं जख्मी आनन्द कुमार मिश्रा

उपस्थित– श्री बिनोद कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश–17, भोजपुर, आरा (बिहार)
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–707 / 2026
(शाहपुर थाना काण्ड संख्या–305 / 2025)

निखिल पाण्डेय एवं अन्य .....आवेदक / अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार राज्य .....विपक्षी

लगातार
17.04.2026

का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जो साधारण प्रकृति का है जबकि जख्मी अंबुज कुमार मिश्रा के जख्म को चिकित्सक द्वारा गंभीर प्रकृति का बताया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया था परन्तु आज सुनवाई के दौरान इस वाद का सूचक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करते हुये कथन किया गया कि मामले में उभय पक्षों के बीच में सुलह हो गया है तथा काउन्टर केस में भी सुलह हो गया है। अब उनके बीच में कोई विवाद नहीं है। घटना में जख्मियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी वे बिल्कुल स्वस्थ्य है। आवेदकगणों को जमानत दिये जाने से उसे कोई खतरा अथवा आपत्ति नहीं है। अतः इन बदली हुई परिस्थितियों में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलतः आवेदक / अभियुक्तगण के द्वारा चार सप्ताह के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उनकी ओर से 15,000 / – रूपये के समान राशि के प्रतिभू के साथ दो–दो जमानतदारों का जमानत बंधपत्र समर्पित करने पर **बि0एन0एस0एस0, 2023 की धारा–482(2)** में वर्णित शर्तो के अंतर्गत उन्हें निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(बिनोद कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–17
भोजपुर, आरा।
17.04.2026